

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /264 /2024 दिनांक 20.01.2024

श्री अजय कुमार भोजक (RJ00248), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-02, जोधपुर महानगर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं :-

01. दिनांक 04.12.2023 से 08.12.2023 तक 05 दिनों का रूपान्तरित अवकाश दिनांक 03.12.2023 एवं 09.12.2023 से 10.12.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
02. दिनांक 12.12.2023 से 16.12.2023 तक 05 दिनों का रूपान्तरित अवकाश दिनांक 17.12.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री भोजक की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-01, जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-02, जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई।


आज्ञा से  
  
20.01.2024  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/63/1996/614

दिनांक 20.01.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-02, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 347/353 दिनांक 11.12.2023/18.12.2023 के सन्दर्भ में।
3. श्री अजय कुमार भोजक (RJ00248), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-02, जोधपुर महानगर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्रम-01, जोधपुर महानगर।

  
20/1/24  
सहायक रजिस्ट्रार